(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस 0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1616-दो/2011 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-8-2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा - प्रकरण कमांक 98/1993-94 निगरानी

लाल बहादुर सिंह पुत्र मोहन सिंह
ग्राम खुज तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा --- आवेदक

विरूद्ध

नीरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज बहादुर सिंह
ग्राम खुज तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा --- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री राजीव लोचन सिंह)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री वीरेन्द्र सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 07-06-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 98/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-8-11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शिवराज बहादुर सिंह ने तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन देकर कृषक स्वर्गीय गोविन्द सिंह के नाम की 26.11 एकड़ भूमि पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 30/अ-6/1984-85 पॅजीबद्ध किया तथा सुनवाई प्रारंभ की । सुनवाई के दौरान पक्षकारों की मांग अनुसार अंतरिम आदेश दिनांक 25-11-1992 से कमीशन नियुक्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 64/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-3-1994 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 98/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-8-2011 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषकों ने लेखी बहस प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 25-11-92 से कमीशन नियुक्त कर 200 रू. जमा करने के आदेश दिये हैं , जिस पर दोनों पक्षों के अभिभाषक ने तहसीलदार के समक्ष सहमति व्यक्त की है और जब तहसीलदार के समक्ष उभय पक्ष सहमत हुये है तब ऐसे अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी करना वाद की शोच है एंव आभाषित है कि आवेदक नामान्तरण कार्यवाही नहीं होने देना चाहता है एंव वर्ष 1992 से अर्थात लगभग 25 वर्षो से प्रकरण लटकाये रखने में कामयाव रहा है और इन्हीं कारणों से आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन है जिन्हें निरस्त करने में अपर कलेक्टर रीवा ने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 98/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-8-11 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है। मामला वर्ष 1992 से अर्थात लगभग 25 वर्षो से व्यर्थ लम्बित है जो पक्षकारों को त्वरित न्यायदान की परिधि नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण प्राप्ति उपरांत हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये 90 दिवस के भीतर मामले का अंतिम निराकरण कर देवें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर